भा. कृ. अ.प. – केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान
मखदूम फरह – 281122, मथुरा (उ.प्र.)

मि.सं. 5-16(2)/सी.पी.एण्ड.सी./2022 दिनांक – 19 जून, 2024

<u>नीलामी सूचना</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के निष्प्रोज्य सामिग्री की नीलामी हेतु मुहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है। मुहर बन्द निविदायें दिनांक **02.07.2024** को अपरांन्ह 01.00 बजे तक, नीलामी हेतु जमानत (बयाने) की राशि रु. 25,000.00 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में पहुँच जाने चाहिये।

नीलामी की शर्ते संस्थान की वेबसाइट www.cirg.res.in पर लगातार देखी जा सकती है|

प्रशासनिक अधिकारी

भा. कृ. अ.प. – केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान

मखदूम फरह – 281122, मथुरा उ.प्र.

मि.सं. 5-16(2)/सी.पी.एण्ड.सी./2022 दिनांक 19 जून, 2024

नीलामी सूचना

निदेशक केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम संस्थान के केन्द्रीय भण्डार में उपलब्ध निष्प्रोज्य सामिग्री एवं अनसर्विसेबल जैसे कुर्सी, यू.पी.एस., अलमीरा, कूलर, बेलेन्स मशीन, टेबिल, एअर कन्डीशनर, बिजली के सामान, फर्नीचर, लैब इक्युपमैन्ट तथा उनसे सम्बन्धित सामान, मशीनरी एवं टूल्स, आयरन स्क्रैप, प्लास्टिक का सामान, इलैक्ट्रिक सामान, एल्युमिनियम का सामान, लकडी का सामान, इत्यादि की बिक्री हेतु "जैसा है जहॉ है" के आधार पर मुहर बंद लिफाफे में निविदाए हेतु इच्छुक खरीरदारो को दिनांक 02.07.2024 को 01:00 बजे अपरान्ह तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदादाता को रु. 25,000.00 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) सभी लॉटो के लिए एक मुश्त धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराने होंगे। नीलामी के नियम व शर्ते संस्थान की वेबसाइट www.cirg.res.in पर उपलब्ध है।

नीलाम की जाने वाली वस्तुओं के अवलोकन के लिए दिनांक 26.06.2024 से 28.06.2024 तक प्रात: 09:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक प्रभारी, केन्द्रीय भण्डार से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक, केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, फरह के पास बिना कोई कारण बताये सभी या किसी भी नीलामी को रदद करने व शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

नीलामी सूचना, बोली प्रारूप, नीलामी के नियम व शर्ते एवं शुद्धिपत्र इत्यादि संस्थान की वेबसाइट www.cirg.res.in पर देखी जा सकती है|

प्रशासनिक अधिकारी

भा. कृ. अ.प. – केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान

मखदूम फरह – 281122, मथुरा उ.प्र.

मि.सं. 5-16(2)/सी.पी.एण्ड.सी./2022 दिनांक 19 जून, 2024

निष्प्रोज्य सामान, उपकरण, आदि की नीलामी हेतु नियम एवं शर्ते

1. नीलामी "जो है जहॉ है" के आधार पर मुहरबन्द लिफाफे निविदाए द्वारा किया जायेगा। मुहर बन्द निविदाए प्राप्त करने की अंतिम तिथि **02.07.2024** को 01:00 बजे अपरान्ह तक।
2. बोलीदाता को रु. 25,000.00 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में नीलामी में हिस्सा लेने से पूर्व डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने होंगे। धरोहर सफल/अधिकतम राशिदाता को छोडकर नीलामी प्रक्रिया के बाद वापिस कर दी जायेगी।
3. सफल निविदादाता को नीलामी की पूर्ण राशि का न्यूनतम एक तिहाई राशि जी.एस.टी. सहित नीलामी प्रक्रिया समाप्ति के बाद तुरन्त कार्यालय में जमा करानी होगी तथा शेष राशि एक सप्ताह के अन्दर या ऑनलाइन भुगतान डलने तक व ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। डिमान्ड ड्राफ्ट आई.सी.ए.आर. युनिट सी.आई.आर.जी., के पक्ष में जो की पंजाब नेशनल बैंक फरह पर देय हो बनवाकर देना होगा|
4. खरीदे गये लॉट की कुल राशि जी.एस.टी. के साथ जमा करने की तिथि से दस दिन के अन्दर सामान सफल निविदादाता अपने खर्चे पर संस्थान से उठाकर ले जाना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रतिदिन रु. 1,000.00 (रुपया एक हजार मात्र) 5% जी.एस.टी. के साथ नियमानुसआर की दर से भंडारण शुल्क जमा करना होगा। इस प्रकार भण्डारण शुल्क सहित भण्डारण की अवधि अधिकतम दस दिन रहेगी। खरीददार को पूरा सामान एक बार में ही उठाना होगा और नीलामी स्थान पर कोई भी अवशेष नही छोडेगा।
5. खरीददार संस्थान के अन्दर लॉट अन्य व्यक्ति या फर्म के नाम हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।
6. असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि अन्तिम निर्णय के पश्चात वापस कर दी जायेगी।
7. सामान जैसा है जहाँ है की स्थिति में नीलाम होगा। मशीने / उपकरणो को खोलने, उठाने आदि का खर्च खरीददार को स्वयं वहन करना होगा। संस्थान की सम्पत्ति का नुकसान पहुचाने या गंद होने पर उसे उसका हर्जाना चुकाना होगा।
8. एक लॉट का सारा सामान एक बार में ही उठाना होगा न कि टुकडों में।
9. इस संस्थान के निदेशक को बिना कारण बताये किसी भी बोली को पूर्णत: या अंशत: निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। निदेशक का निर्णय हर परिस्थिति में अन्तिम तथा मान्य होगा।
10. नीलामी के दौरान यदि कोई विवाद उठता है तो उसका निपटारा मथुरा जनपद द्वारा ही निपटाया जायेगा।
11. संस्थान द्वारा नीलाम की जाने वाली वस्तुओं के अवलोकन के लिए दिनांक 26.06.2024 से 28.06.2024 तक प्रात: 09:00 बजे से शाय 5:00 बजे तक प्रभारी, केन्द्रीय भण्डार से सम्पर्क किया जा सकता है।
12. खरीदे गये लॉट की कुल राशि जमा करने की तिथि से दस दिन के अन्दर पूरा सामान अपने खर्चे पर संस्थान से उठाकर ले जाना अनिवार्य होगा जो कि सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक ही ले जाना होगा|
13. खरीदे गये लॉट को बाहर ले जाने का कार्य हर हालत में 10 दिन के अन्दर करना होगा, तथा इसके लिए अतिरिक्त समय की मंजूरी किसी भी हालत में नहीं दी जायेगी|

कृ.प.उ.

14. खरीदे गये लॉट को संस्थान से बाहर प्रभारी केन्द्रीय भण्डार तथा सुरक्षा एवं बचाव अधिकारी की अनुमति से ही ले जाया जा सकता है तथा खरीदे गये लॉट को संस्थान से बाहर ले जाने के लिये गेटपास केवल कार्यालय समय में ही जारी होगा |
15. निविदादाता नीलामी निविदा के साथ अपना आधार कार्ड, पेनकार्ड एव बैंक पासबुक की स्वयं सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करें अन्यथा उसकी निविदा को अस्वीकार कर दिया जायेगा।
16. किसी भी दुर्घटना के लिये संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
17. खरीदे गये लॉट को ले जाने के लिये मजदूरों की सम्पूर्ण सूची सुरक्षा अनुभाग को पूर्व में उपलब्ध करानी होगी।
18. किसी भी प्रकार की आगजनी सामग्री जैसे बीडी, माचिस, सिगरेट लाइटर आदि संस्थान के अंदर प्रतिबन्धित रहेगी।

20/6/24

प्रशासनिक अधिकारी

मुहर बन्द निविदा का प्रारूप

सेवा में,

श्रीमान निदेशक महोदय,

भा.कृअ.प.- के.ब.अ.स., मखदूम

फरह मथुरा – 281122

विषय: संस्थान के केन्द्रीय भण्डार में उपलब्ध निष्प्रोज्य सामिग्री की मुहर बन्द निविदाए आमन्त्रित हेतु।

सभी लॉटो के सामान का निविदा मूल्य रु. ....

(+) 18% जी.एस.टी. रु. ....

कुल रु. ....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रार्थी का नाम

प्रार्थी का आधार कार्ड नं.

प्रार्थी का मो. नं.

प्रार्थी का खाता संख्या

बैंक का IFSC कोड

बैंक का नाम

प्रार्थी का पूरा पता